

MORMUGAO PORT AUTHORITY
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Ref. No. GAD/WEL/1/2023/01583

28.06.2023

OFFICE ORDER

Sub: **Enhancement of reimbursement of cost of spectacle frame.**

In supersession to Office Order issued under Ref. GAWEL/1/98/8171 dated 2nd February, 1998 and subsequent Office Order issued under Ref. GAWEL/1/2001/7187 dated 5th March, 2001, the reimbursement of expenditure towards cost of spectacle frame to presently serving Port employees is enhanced to Rs. 1,000/-, subject to following conditions :-

- i) The serving employees of Mormugao Port Authority shall be entitled to reimburse an amount of **Rs. 1,000/-** for the expenses incurred towards cost of spectacle frame, irrespective of the cost of glasses and frames, which shall be admissible twice during the entire service period.
- ii) The concerned employee shall submit the cash receipt for the spectacle frame procured, counter signed by the Port Ophthalmologist, alongwith the certified copy of Port Ophthalmologist's prescription to their department, within 3 months from the purchase of spectacle frame.
- iii) The respective department shall make entry in the Service Book of the concerned claimant and forward the same to Finance Dept. for reimbursement through GAD, for issue of BCS from Welfare Fund.
- iv) Regular employees, those who have completed one year of continuous service in the Port are eligible for the above reimbursement.
- v) The revised rate shall be applicable w.e.f. 1st July, 2023.


(S. P. Mohan Kumar)
SECRETARY

c.c. to :

- 1) Chairpersons' table
- 2) Dy. Chairperson's table
- 3) All HODs – With a request to give wide publicity to this Office Order.
- 4) President, Goa Port & Dock Employees Union.
- 5) President, Mormugao Port & Railway Workers' Union.
- 6) President, MPT Officers' Association
- 7) President, SC/ST Employees Association of MPT & DLB
- 8) President, The MPT SC/ST Employees Welfare Association.
- 9) President, Mormugao Port OBC Association.
- 10) Notice Board / GAD.
- 11) All Sections of GAD.
- 12) GAD/WEL/4-D.

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण
सामान्य प्रशासन विभाग

संदर्भ सं. जीएडी/कल्याण/1/2023/ 01583


दिनांक 23.06.2023

कार्यालय आदेश

विषय: चश्मे के फ्रेम की लागत की प्रतिपूर्ति में वृद्धि।

संदर्भ सं. जीए/डब्ल्यूईएल/1/98/8171 दिनांक 2 फरवरी, 1998 के तहत जारी कार्यालय आदेश और बाद में संदर्भ सं. जीए/डब्ल्यूईएल/1/2001/7187 दिनांक 5 मार्च, 2001 के तहत जारी कार्यालय आदेश के अधिक्रमण में, वर्तमान में सेवारत पत्तन कर्मचारियों के लिए चश्मे के फ्रेम की लागत के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति को बढ़ाकर रु. 1,000/- कर दी गई है जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- i) मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के सेवारत कर्मचारी चश्मे के फ्रेम की लागत के मद्दे किए गए खर्च के लिए 1,000/- रुपये की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे, चाहे चश्मे और फ्रेम की लागत कितनी भी हो। यह प्रतिपूर्ति सेवा अवधि के दौरान दो बार ग्राह्य होगी।
- ii) संबंधित कर्मचारी को चश्मे के फ्रेम की खरीद के 3 महीने के भीतर, पत्तन के नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, पत्तन के नेत्र रोग विशेषज्ञ के नुस्खे की प्रमाणित प्रति के साथ, खरीदे गए चश्मे के फ्रेम के लिए नकद रसीद जमा करनी होगी।
- iii) संबंधित विभाग अपने दावेदार की सेवा पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि करेगा और उसे कल्याण निधि से बीसीएस जारी करने के लिए जीएडी के माध्यम से प्रतिपूर्ति के लिए वित्त विभाग को अग्रेषित करेगा।
- iv) नियमित कर्मचारी, जिन्होंने पत्तन में एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की है, उपरोक्त प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।
- v) संशोधित दर दिनांक 1 जुलाई, 2023 से लागू होगी।


(एस. पी. मोहन कुमार)
सचिव

प्रतिलिपि:

- 1) अध्यक्ष के पटल हेतु
- 2) उपाध्यक्ष के पटल हेतु
- 3) सभी विभागाध्यक्ष -- इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश को व्यापक प्रचार दें।
- 4) अध्यक्ष --- गोवा पत्तन तथा गोदी कर्मचारी यूनियन.
- 5) अध्यक्ष --- मुरगांव पत्तन तथा रेलवे कामगार यूनियन.
- 6) अध्यक्ष --- एमपीटी ऑफिसर्स एसोसिएशन.
- 7) अध्यक्ष -- एमपीटी तथा डीएलबी अजा/अजजा कर्मचारी संगठन.
- 8) अध्यक्ष -- एमपीटी अ.जा/अ.ज.जा. कर्मचारी कल्याण संगठन.
- 9) अध्यक्ष --- एमपीटी ओ.बि.सी एसोसिएशन.
- 10) नोटिस बोर्ड/सा.प्र.वि.
- 11) जीएडी के सभी अनुभाग
- 12) फाईल सं. जीएडी/वेल/4-डी